2025/717

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

सागरमल आदि बनाम तहसीलदार, धोद

किस्म मुकदमा धारा 136 LRAct मु.नं. 372 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र
17/9/25	प्रार्थीगण सागर मल, गोपी राम, बिरज लाल, रामेश्वर, मदन लाल पुत्रगण गोबिन्दा समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम पेवा तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने के अनुसार वाके ग्राम पेवा पटवार हल्का पेवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 130 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता के नाम की प्रविष्टि गोविन्दाराम पुत्र जगदेवा दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थीगण के पिता के नाम की सही प्रविष्टि गोबिन्दा पुत्र हीरा राम है। प्रार्थीगण के नाम से बने दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों में प्रार्थीगण के पिता का गोबिन्दा पुत्र हीरा राम अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता के नाम की प्रविष्ठि गोविन्दाराम पुत्र जगदेवा के स्थान पर सही प्रविष्ठि गोबिन्दा पुत्र हीरा राम दुरूस्त किया जावें। प्रकरण में प्रार्थीगण के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1570 दिनांक 06.08.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थीगण के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः प्रार्थीगण का आवेदन तहसीलदार, धोद की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम पेवा पटवार हल्का पेवा तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 130 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता के नाम की प्रविष्टि गोविन्दाराम पुत्र जगदेवा के स्थान पर सही प्रविष्ठि गोबिन्दा पुत्र हीरा राम उर्फ जगदेवा दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदारान/प्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1570 दिनांक 06.08.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:00:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner